



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/प्रॉ./08/2024/ 210

दिनांक : 1.4.24

प्रति

अध्यक्ष/प्रपालक/प्राचार्य

समस्त अध्ययनशालाएं/छात्रावास/सम्बद्ध महाविद्यालय,
विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन।

विषय :- रैगिंग रोकने विषयक।



महोदय/महोदया,

नवीन शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने जा रहा है, इस नवीन शिक्षा सत्र में रैगिंग जैसी कुप्रथा को रोकने के संबंध में नीचे दर्शाये गये बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही की जाना अपेक्षित है :-

1. रैगिंग दण्डनीय अपराध है, रैगिंग के अंतर्गत किन-किन घटनाओं को लिया गया है, उसका उल्लेख महाविद्यालय/अध्ययनशालाओं के मुख्य द्वार की दीवारों पर कर दिया जाए।
2. रैगिंग के लिये क्या-क्या दण्ड का प्रावधान है यह भी दीवार पर अंकित किया जाए।
3. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की प्रवेश पुस्तिका एवं प्रवेश आवेदन पत्र पर भी इसे अंकित किया जाए।
4. रैगिंग एक कुप्रथा है, इसके विरुद्ध स्थानीय समाचार पत्रों, स्थानीय टी.वी., पोस्टर, इलेक्ट्रॉनिक चैनल तथा अन्य साधनों से प्रचार-प्रसार किया जावे।
5. प्रत्येक महाविद्यालयों में रैगिंग रोकने के लिये उड़नदस्ते का गठन किया जाए, जो महाविद्यालय परिसर/छात्रावासों में समय-समय पर यह देखें कि कहीं रैगिंग तो नहीं हो रही है। महाविद्यालय परिसर के बाहर भी उड़नदस्ता जांच करे।
6. रैगिंग की शिकायत होने पर उसकी जांच करवाई जाए। रैगिंग की शिकायत हेतु महाविद्यालय छात्रावासों में शिकायत पेटी रखी जाएँ। यदि शिकायत सत्य पायी जाती है तो रैगिंग करने वाले छात्रों को दण्डित किया जाए तथा एक बार दिया गया दण्ड किसी भी स्थिति में वापस न लिया जाए।
7. रैगिंग की घटना यदि महाविद्यालय/अध्ययनशाला/छात्रावास में हुई है तो उससे संबंधित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/प्रपालक को उत्तरदायी माना जाएगा।
8. जिन स्थानों पर रैगिंग की अधिक सम्भावना होती है वहां पर क्लोज सर्किट टी.वी. कैमरे लगवाये जायें, ताकि ऐसी घृणित घटनाओं पर नजर रखी जा सके और यदि आवश्यक हुआ तो रैगिंग लेने वाले छात्रों के परीक्षा परिणाम रोकने की कार्यवाही भी की जाए।

//2//

9. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी महाविद्यालय यदि रैगिंग को रोकने संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें मानव अधिकार आयोग के निर्देशों का हवाला दिया जाए अन्यथा उनकी मान्यता रद्द कर आर्थिक अनुदान भी रोका जाए।
10. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग को रैगिंग के संबंध में दूरभाष पर भी सूचित किया जा सकता है ताकि रैगिंग को रोकने के लिए आयोग अपने स्तर से भी प्रभावी कदम उठा सकें।
11. दोषी छात्रों को संस्थाओं से निष्कासित कर उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कर सकते हैं।
12. मीडिया की मदद से ऐसी घटनाओं की जानकारी और दोषी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी समाज के विभिन्न तबकों को भी दी जाना चाहिए।
13. जिला प्रशासन से यह अनुरोध किया जाये कि वे महाविद्यालय परिसर के बाहर कार्यरत रेस्टोरेंट/कैन्टीन आदि पर विशेष निगाह रखें ताकि रैगिंग की रोकथाम की व्यवस्था की जा सके।
14. जिला पुलिस प्रशासन से यह निवेदन किया जाए कि वह सादे कपड़ों में पुलिस तैनात करें।
15. छात्रों में रैगिंग के विरुद्ध विश्वास जगाया जाए कि यदि उन्हें रैगिंग के लिये बुलाया जाता है तो वे इसकी सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य को दें।
16. प्रतिवर्ष रैगिंग की रोकथाम के लिये अपील प्रकाशित की जाए, जिसमें यह भी उल्लेख आवश्यक हो कि रैगिंग लेने के कारण किस-किस तरह की सजा मिल सकती है जिसके कारण रैगिंग लेने वाले छात्रों में भय व्याप्त हो सकें।
17. अध्ययनशाला/महाविद्यालय/संस्थान में विद्यार्थी कल्याण सहायता केन्द्र का गठन किया जाए। एक प्राध्यापक को केन्द्र वरिष्ठ एवं कनिष्ठ छात्रों के मध्य समन्वय का कार्य करेंगे जिसमें वरिष्ठ छात्र कनिष्ठ छात्रों का मार्गदर्शन करें।
18. राज्यपाल के प्रमुख सचिव के पत्र क्रमांक 389/रास/यू.ए.-3/2014 दिनांक 04 अप्रैल, 2014 के अनुसरण में समस्त विभागाध्यक्ष/प्रपालक नवआगन्तुक विद्यार्थियों का परिचय सम्मेलन आयोजित करेंगे। इस हेतु तिथि एवं समय संकायाध्यक्ष विद्यार्थी कल्याण के समन्वय से निश्चित करेंगे।

 भवदीय, 

(डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रॉक्टर

क्रमांक/प्रॉ./08/2024/ 211

दिनांक : 1.4.24

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन, भोपाल।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
3. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. उपसचिव, मानव अधिकार आयोग, मध्यप्रदेश पर्यावास भवन, खण्ड नं. 1, प्रथम तल अरेरा हिल्स, भोपाल।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
6. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन सम्भाग, माधव विज्ञान महाविद्यालय परिसर, उज्जैन।
7. कलेक्टर, उज्जैन/देवास/मंदसौर/रतलाम/नीमच/शाजापुर/आगर।
8. पुलिस अधीक्षक, उज्जैन/देवास/मंदसौर/रतलाम/नीमच/शाजापुर/आगर।
9. विद्यार्थी कल्याण संकायाध्यक्ष, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
10. प्रपालक, समस्त छात्रावास, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, वि. वि., उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रॉक्टर